

# **Employees' Provident Fund Organisation**

(Ministry of Labour & Employment, Govt. Of India) Bhavishya Nidhi Bhawan, 14 - Bhikaji Cama Place New Delhi-110066

For Web circulation only

No. Manual/Amendment/2011

Dated:

1 2 JUL 2013

То

All ACCs (Zones), Regional PF Commissioners-In Charge of the ROs/SROs

Subject:- Revised Transfer Claim Format.

Sir,

Kindly find enclosed herewith a sample of the revised Transfer Claim Form 13 which has been approved by the Central Provident Fund Commissioner for the smooth handling of transfer claims

The new revised forms are to be used with immediate effect.

(This issues with the approval of FA & CAO)

Encl: - As above

Yours faithfully,

Director (Audit) & Link to RPFC (F & A)

### Copy to:-

- (1) PS to CPFC
- (2) PS to C.V.O
- (3) All ACCs (H.O)
- (4) ACC (IS)(5) Director NATRSS
- (6) Dir (Audit)/ DD Audit/AD (Audit)/ZAP/ZTIs
- (7) DD (OL) for issuing Hindi version.
- (8) RPFC (NDC) for uploading the same in the website of EPFO. The existing form is to be replaced with the new form as approved by CPFC with immediate effect.

दावा	आई	ई डी.		 	 
	_	_	~ ~		

(केवल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रयोग हेत्)



# कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (पैरा 57)

[अकुट प्राप्त स्थापना से कुट प्राप्त अथवा अकुट प्राप्त स्थापना में कर्मचारी भविष्य निधि खाते के अंतरण के लिए आवेदन]

- "	-
सेवा में,	सेवा में,
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त	न्यास का नाम :
ज कार्यालय का नाम :	
कार्यालय का पता :	
(कृपया अनुदेश 3 देखें)	
महोदय,	
आपसे अनुरोध है कि मेरे पेंशन से	वा के विवरण सहित मेरी भविष्य निधि बकाया राशि को मेरे वर्तमान खाते में
अंतरित करें तथा इसकी सूचना मुझे भी दें ।	। मेरा विवरण निम्नलिखित है :
;	भाग (क) : व्यक्तिगत जानकारी
1. ∗ਗਸ :	
2 *पिता/पति का नाम :	
3. मोबाईल नंबर :	4. ई -मेल आई डी :
5. बैंक खाता संख्या :	6. बैंक की शाखा का आई एफ एस कोड :
पेंशन निधि खाता संख्या :	नेधि योजना, 1952 के अंतर्गत छूट प्राप्त है
2. *पिछली स्थापना का नाम व पता :	
3. *भविष्य निधि खाते का रखरखाव करने	वाला:(ईपीएफ कार्यालय / भविष्य निधि न्यास का नाम)
4. *जन्म तिथि :	(दिन/माह/वर्ष)
5. * शामिल होने की तिथि :	(दिन/माह/वर्ष)
6. *छोड़ने की तिथि :	(दिन/माह/वर्ष)
भा	ग (ग) : वर्तमान खाते का विवरण
1. *भविष्य निधि खाता संख्या :	
यदि पिछली स्थापना कर्मचारी भविष्य नि	धि योजना, 1952 के अंतर्गत छूट प्राप्त है
पेंशन निधि खाता संख्या :	
2. *वर्तमान स्थापना का नाम एवं पता : _	
	वाला: (ईपीएफ कार्यालय / भविष्य निधि न्यास का नाम)

4. * शामिल होने की तिथि:	् (दिन/माह/वर्ष)
5. #न्यास का नाम (वर्तमान स्थापना के कर्मचारी भविष्य निर्	धे योजना, 1952 के अंतर्गत छूट प्राप्त होने की स्थिति में
जिसे राशि का भुगतान किया जाना है):	••
6. #न्यास के अंतर्गत कर्मचारी का कोड	
(*अवश्य भरा जाए) (# यदि लागू न हो तो काट दे)	
में प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई वर्तमान तथा पूर्व खाता संख्या भी सही है।	सभी सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है तथा मेरी
	सदस्य के हस्ताक्षर
	दिनांक:
महत्वपूर्ण : सदस्य के पास अपने वर्तमान अथवा पूर्व नियोक्त	<u>ग से दावा फॉर्म को सत्यापित करवाने का विकल्प है । पूर्व</u>
नियोक्ता से सत्यापन करवाने की स्थिति में, निपटान में लगने	वाला समय अपेक्षाकृत कम होगा ।
प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस फॉर्म के भाग (क) मे उ तथा सदस्य के हस्ताक्षर की जांच कर ली है ।	ल्लिखित सदस्य के संबंध में भाग (ख) में दिए गए विवरण
	पूर्व नियोक्ता के हस्ताक्षर
स्थापना की मोहर	ू दिनांक :
अथव	वा
प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस फॉर्म के भाग (क) मे उ की जांच कर ली है।	ल्लिखित सदस्य के संबंध में भाग (ग) में दिए गए विवरण
	वर्तमान नियोक्ता के हस्ताक्षर
स्थापना की मोहर	दिनांक :
,	
अनुदेश एउ	वं निर्देश

- बैंक खाते का विवरण सत्यापन के उद्देश्य के लिए है, यद्यिप राशि का अंतरण वर्तमान खाता संख्या का रखरखाव कर रहे ईपीएफ कार्यालय/न्यास में किया जाएगा ।
- 2. यदि पिछले खाते का रखरखाव छूट प्राप्त स्थापना के भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता था, तो सदस्य को एक अंतरण दावा फॉर्म {फॉर्म 13 (संशोधित)} न्यास में तथा दूसरा अंतरण दावा फॉर्म {फॉर्म 13 (संशोधित)} ईपीएफ कार्यालय में भेजना होगा जिससे कि नए खाते में पेंशन निधि के अंतर्गत सेवा विवरण अंतरित किया जा सके ।
- 3. फॉर्म को उस ईपीएफ कार्यालय में जमा किया जाए जिसमें पूर्व अथवा वर्तमान खाते का रखरखाव किया गया हो, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किस नियोक्ता ने दावे का सत्यापन किया है। (यदि दावे का सत्यापन वर्तमान नियोक्ता द्वारा किया गया है, तो उस ईपीएफ कार्यालय में दावा जमा किया जाए जिसमें वर्तमान खाता है आदि)
- 4. सदस्य के मोबाईल नंबर (जहाँ भी उपलब्ध कराया गया हो) का प्रयोग उसे एस एम एस भेजकर उसके दावे पर चल रही कार्रवाई के विषय में सूचित करने हेतु किया जाएगा तथा यह व्यक्तिगत रूप से दिए गए फॉर्म के लिए अनिवार्य नहीं है।

FORM 13 (REVISED)



## EMPLOYEES' PROVIDENT FUND SCHEME, 1952 (PARA 57)

[APPLICATION FOR THE TRANSFER OF EPF ACCOUNT FROM UNEXEMPTED ESTABLISHMENT TO EXEMPTED OR UNEXEMPTED ESTABLISHMENT]

To,	To,	
The Regional P F Commissioner,	Trust Name:	
Office Name:	Trust Address:	
Office Address:		
(Please see instruction 3)	(in case the PF A/C is with Exempted Establishment)	
Sir,		
I request that my provident fund bala transferred to my present account under intim	ance along with my pension service details may please be nation to me. My details are as under:	
PART A: PEF	RSONAL INFORMATION	
1. *Name:		
2. *Father's/Husband's name:		
3. Mobile number:	4. E-mail id:	
5. Bank A/C number:	6. IFS code of Bank branch:	
Pension Fund Account No. :	ted under Employees' Provident Fund Scheme,1952	
2. *Name and Address of the previous establis	hment:	
3. *PF Account is held by: (Name of EPF Office	/ PF Trust)	
4. *Date of Birth: (dd/mm/y	yyy) 5. *Date of joining :(dd/mm/yyyy)	
6. *Date of leaving: (dd/mm/	уууу)	
PART C: DETAI	LS OF PRESENT ACCOUNT	
1. *PF Account No. :  In case the previous establishment is exemp  Pension Fund Account No. :	ted under Employees' Provident Fund Scheme,1952	
2. *Name and Address of the present establish	nment:	

Certified that I have verified the data in Part C in respect of the form.  Seal of the Establishment	Signature of Present Employer Date:
•	
	ne member mentioned in Part A of this
OR	
Seal of the Establishment	Date:
Soal of the Establishment	Signature of Previous Employer
form and the signature of the member.	
Certified that I have verified the data in Part B in respect of the	ne member mentioned in Part A of this
In case of attestation by the previous employer, time taken in se	ettlement will be relatively less.
IMPORTANT: Member has the option to get the claim form att	tested by present or previous employer.
	Date:
	Signature of the Member
,,,	
I, Certify that all the information given above is true to the best the correctness of my present and previous account numbers.	st of my knowledge and I have ensured
6. #Employee code under the Trust:  (* indicates mandatory fields) (# Strike off if not applicable	
under EPF Scheme, 1952) :	
5. #Name of Trust (to whom funds are to be paid in case of	present establishment being evennted
4. *Date of joining :(dd/mm/yyyy)	

- 1. The Bank A/C details are for verification purpose even if the Fund is transferred to the EPFO Office/Trust maintaining the present account number.
- 2. In case the Previous Account was maintained by PF Trust of the exempted establishment, the member should submit a Transfer Claim Form {Form-13(Revised)} to the Trust while sending another Transfer Claim Form {Form-13(Revised)} to the PF Office for transferring the service details under the Pension Fund to the new account.
- 3. The Form should be submitted to that PF Office under which previous or the present account is maintained, depending upon as to which employer has attested the claim. (In case the claim is attested by the present employer, claim should be submitted with the PF Office under which the present account is maintained, and so on).
- 4. The mobile number (wherever provided) of the member would be used for sending an SMS alert informing him/her the processing of his/her claim and is non-mandatory for Physical form.